अनुसूचा–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या – 351 /2013–14

बीबी गुलशन खातुन बनाम मो0 जमशेद हुसैन एवं 4 अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात् अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया, अवलोकन किया। वस्तुतः प्रस्तुत वाद में आवेदिका बीबी गुलशन खातुन जौजे– मुमताज आलम मुहल्ला– शाहगंज बेंता थाना– लहेरियासराय, वार्ड नं0– 35 दरभंगा नगर निगम, दरभंगा वर्त्तमान सरकारी क्वार्टर सेरीगेशन विभाग, गंडक प्रोजेक्ट, समस्तीपुर ने मुहल्ला शाहगंज बेंता अंचल बहादुरपुर अन्तर्गत पुराना खाता नं0– 134 पुराना खेसरा नं0– 1321 रकवा– 160 स्कॅवायर फीट (7′ X 20′) उत्तर– आवेदिका का आवासीय मकान दक्षिण– विपक्षी का मकान पूरब– रोड पश्चिम– सहादत हुसैन का आवासीय घर वाली भूमि का Measurement कराकर point fixed कराने का अनुरोध किया है। मुख्यतः आवेदिका ने प्रश्नगत खेसरा की 10 धुर भूमि सहित खपरैल मकान दिनांक 11.09.1995 को रामचन्द्र प्र0 सिन्हा पिता– स्व0 ज्ञानचन्द्र सिन्हा से केवाला कराया जिसमें दो खिड़की दक्षिण Side में है जो आवेदिका के शांतिपूर्ण उपभोग में चला आ रहा है जिसपर आवेदिका ने पुराने घर के foundation पर हीं Pucca house को Construct कराया है जिसके उतर side में 7′ ft X 20′ ft भूमि भविष्य में garrage बनाने के लिए छोड़ा है तथा दक्षिण Side में window नहीं खोला है। आवेदिका का आरोप है कि विपक्षी म0 जमशेद हुसैन, म0 जावेद हुसैन, अफताबुल रहमान, म0 ताहिर हुसैन एवं म0 जाकिर हुसैन सभी पिता– विरासत हुसैन मरहुम मुहल्ला शाहगंज बेंता ने आवेदिका के प्रश्नगत Vacate land 160 squire fit भूमि के अन्दर 2 R.C.C. Pillar बनाकर लोहे का गेट दक्षिण–पूरब एंव रास्ते के पश्चिम तरफ बनाकर encroched कर लिया है। विपक्षी ने आवेदिका के वाद को पोषणीय नहीं होना बताते हुए कहा है कि आवेदिका का वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का है। विपक्षी ने प्रश्नगत भूमि को अपनी खतियानी भूमि होना बताया है।	

17/06/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	इस प्रकार उभय पक्षों के दावे–प्रतिदावे के विश्लेषणोपरान्त पक्षकारों के बीच प्रश्नगत भूमि के संबंध में दावा हक–हकियत से संबंधित होना परिलक्षित होता है जिसका निदान सिर्फ व्यवहार न्यायालय से हीं संभव है। चुँकि पक्षकारों के बीच प्रश्नगत भूमि पर हक–हकियत एवं स्वत्व अधिकार के निर्धारण का जटिल प्रश्न निहित होना स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है जिसका निदान इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत संभव नहीं है, अतएव आवेदिका द्वारा अपने वाद पत्र के माध्यम से इस न्यायालय से माँगा गया अनुतोष प्रदान किए जाने में बैधानिक कठिनाई है। अतः बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा– 4 (5) के तहत् प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत कार्यवाही बन्द (close) किया जाता है। आवेदिका यदि चाहे तो अपने दावे के उपचार हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष याचना करने हेतु स्वतंत्र हैं। उपरोक्त मन्तव्य के साथ इस कार्यवाही के निष्पादित किया जाता है। ''अभिलेख संचिकास्त करें।'' **लेखापित एव शुद्धित** 17/06/14 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।** 17/06/14 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	